1/426/11-12
Sep 19, 2012

महत्वपूर्ण

संख्या–2646/9–1–12–37च/08

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

22845
22854

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 5 सितम्बर, 2012

विषयः नागर निकाय कार्मिकों के विरूद्ध जांच की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि निकाय कर्मियों द्वारा सेवाकाल में शासकीय धन के दुरूपयोग तथा वित्तीय अनियमितता किये जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही समयान्तर्गत संस्थित नहीं हो पाती है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त सी.एस.आर. के अनुच्छेद 351A में सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम 4 वर्ष की अवधि में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा सकती है, वशर्ते अनियमितता सेवानिवृत्ति की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पुरानी भी न हो। प्रकरण में उक्त समयावधि से उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही न हो पाने से शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं हो पाती है।

2 अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकाय कर्मियों के विरूद्ध जांच प्रकरण में तत्परतापूर्वक समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विभागीय कार्यवाही के समापन के उपरान्त यदि प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य सृजित होना प्रतीत होता है, तो उस दशा में उत्तरदायी कार्मिक के विरूद्ध शासनादेश संख्या–13/2/2012/का–2012, दिनांक 24 मई, 2012 (प्रति संलग्नक) में वर्णित प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अभियोजना की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

मुझे यह भी कहना है कि उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही में शिथिलता पाये जाने पर शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध संगत प्रभावी नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जाय एवं आवश्यकतानुसार ऐसे प्रकरण शासन को समय से कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किये जाय।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/9–1–12,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त,उ.प्र.,/जिलाधिकारी/नगर आयुक्त।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, नव चेतना केन्द्र,10, अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्धक निदेशक, जल निगम,उ.प्र., राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ
4. महाप्रन्धक, जल संस्थान, ऐशबाग, लखनऊ
5. नगर विकास अनुभाग–2/3/4/5/6/7/8/9 एवं सूडा अनुभाग।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

सं. 1993/9-8-12

संख्या 13/2/2012/का-1-2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2012

विषय :— अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या 611/का-1-2005, दिनांक 19-07-2005 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2—उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 19-07-2005 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा बरती गयी अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसके विरुद्ध जाँचोपरान्त अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही की जायेगी और यदि अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही में यह पाया जाता है कि कर्मचारी/अधिकारी की कोई आपराधिक भूमिका रही है तथा उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर विचार किया जाता है अन्यथा विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी की आख्या के उपरान्त वे दण्ड दिये जाते हैं जो सम्बन्धित नियमावली में परिभाषित हैं। अतः विभागीय कार्यवाही के समापन के उपरान्त अनियमिततायें यदि इस प्रकार की हैं कि कोई आपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टया सृजित प्रतीत होता है तो उस दशा में नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में न्याय विभाग का मत प्राप्त करके अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्यवाही करें।

3—शासन के संज्ञान में लाया गया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में विभागों (विशेषकर स्टाम्प एवं निबंधन विभाग) द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 19-07-2005 में दी गयी व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतएव, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने सम्बन्धी प्रत्येक मामले में उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19-07-2005 में वर्णित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

(प्रकाश सिंह)
शेष सचिव,
विकास विभाग
उ० प्रदेश शासन

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव

समस्त अनुभाग
न्याय विभाग/गंगा सेलीक

ukti 2012 data2